I/36643/2022

Issued (निर्गत) 20.05.2022
Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

संख्या–3664/XXVIII(5)/2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह पांगती,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 20 मई, 2022

विषय– राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के अन्तर्गत कॉलेज परिसर तथा चिकित्सालय परिसर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2963/चि0शि0/12/02/2019 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के निर्माण कार्यो हेतु पूर्व में स्वीकृत लागत ₹ 327.02 करोड़ में से शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ₹ 60.38 करोड़ के ऐसे कार्य जिन्हे प्रारम्भ नहीं किया गया है, को छोड़ते हुए शेष प्रगतिशील कार्यों की अवशेष लागत ₹ 266.64 करोड़ के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन ₹ 339.77 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। ₹ 339.77 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन का टी0ए0सी0, नियोजन द्वारा परीक्षणोपरान्त कुल ₹ 330.64 करोड़ (SI मदों के अन्तर्गत ₹ 211.72 करोड़ तथा NSI मदों पर ₹ 118.92 करोड़) की धनराशि औचित्यपूर्ण पाया गया है। इसमें कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0 द्वारा ₹ 244.74 करोड़ के कार्य कर दिये गये (Work Done) हैं तथा ₹ 85.90 करोड़ के कार्य किये (Work to be Done) जाने हैं। शासनादेश संख्या–813/XXVIII(5)/2021-64/2004 (II Cover TC) दिनांक 20 सितम्बर, 2021 द्वारा आपके निवर्तन पर पी0एल0ए0 में रखी धनराशि ₹ 30.00 करोड़ के व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुसार उक्त उक्त निर्माण कार्य हेतु आतिथि तक ₹ 258.47 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष वर्तमान में ₹ 72.17 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जानी अवशेष है।

2– तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल आगणन ₹ 327.02 करोड़ के सापेक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन ₹ 339.77 करोड़ के टी0ए0सी0 नियोजन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत/औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि कुल ₹ 330.64 करोड़ (SI मदों के अन्तर्गत ₹ 211.72 करोड़ तथा NSI मदों पर ₹ 118.92 करोड़) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवमुक्त करने हेतु

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 20/05/2022 01:51 PM

अवशेष ₹ 72.17 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 6.00 करोड़ (₹ छः करोड़ मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सुसंगत मद से व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. टी0ए0सी0 नियोजन द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 330.64 करोड़ में से कार्यदायी संस्था को पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 258.47 करोड़ को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 72.17 करोड़ में अवशेष गतिशील कार्यों को पूर्ण करवाया जायेगा।

2. समस्त नवीन निर्माण कार्य पेयजल निर्माण निगम तथा पूर्व से गतिशील कार्य यू0पी0आर0एन0 द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। जो कार्य ठेकेदार के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं, वह कार्य ठेकेदार के माध्यम से तथा जो कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा अधिप्राप्ति के माध्यम से किये जा रहे हैं वे कार्य भी समानान्तर रूप से चलते रहेंगे।

3. कार्यों की पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें यू0पी0आर0एन0 तथा पेयजल निर्माण निगम के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। उक्त समिति द्वारा एक सप्ताह के भीतर राजकीय मेडिकल कॉलेज के कैम्पस तथा चिकित्सालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें दोनों संस्थाओं को आबंटित कार्यों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करते हुए सूचीबद्ध किया जायेगा। साथ ही समिति द्वारा यह भी संज्ञान लिया जायेगा कि दोनों कार्यदायी संस्थाओं के मध्य आबंटित कार्यों की किसी भी दशा में पुनरावृत्ति न हो। यदि किसी कार्य में पुनरावृत्ति होती है तो उसे Drop कर दिया जायेगा। उक्त संयुक्त निरीक्षण समिति की आख्या महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के कैम्पस तथा चिकित्सालय परिसर के निर्माण कार्य, जो कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सम्पादित कराये जा रहे हैं; की प्रगति के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मासिक बार चार्ट तैयार किया जायेगा तथा मासिक प्रगति की समीक्षा करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

5. कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0 तथा उनके द्वारा आबद्ध ठेकेदार के मध्य यदि किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है और निर्माण कार्य बाधित होता है, तो इस हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6. यदि विवाद के कारण निर्माण की लागत में कोई किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है, तो किसी भी दशा में अनुमोदित लागत से अधिक की धनराशि

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 20/05/2022 01:51 PM

किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

7. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का होगा।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये प्राविधानों, मात्रा एवं विशिष्टियों से भली भांति अवगत हो जायें कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य हेतु ली गयी दरें व्यावहारिक हैं। इसमें किसी भी कमी (Deficiency) के लिए कार्यदायी संस्था पूर्ण जिम्मेदार होगी।

9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

10. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11. कार्यदायी संस्था द्वारा समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। कार्य की प्रगति के अनुरूप कार्यदायी संस्था को अग्रिम किश्त का आबंटन किया जायेगा।

12. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

13. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

14. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी रूप से स्वीकृत आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर जी जाय।

15. कार्यदायी संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों एवं सुसंगत नियमों का पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

16. कार्यदायी संस्था द्वारा N.M.C. की नवीनतम गाईड लाईनस के अनुसार ही समस्त कार्य सम्पन्न कराया जाय।

17. कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा गतिमान विषयक प्रकरण के स्थलीय/भौतिक सत्यापन हेतु स्वीकृत Site Plan पर क्रमशः Hospital Campus

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 20/05/2022 01:51 PM

व Medical College के कृत/प्रस्तावित Work done तथा Work be done के समस्त कार्य ड्राईंग में अलग–अलग रंगों द्वारा Highlight/रेखांकित कर लिया जाय। किसी भी मद में व्यय की पुनरावृत्ति न की जाय तथा पुनरावृत्ति की दशा में कार्यदायी संस्था की पूर्णतया जिम्मेदारी होगी।

18. आगणन में सम्मिलित NSI/ बाजार भावों की दरों के सत्यापन हेतु निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा जिन मदों/सामग्री की व्यापक विशिष्टिताओं व Configurations का विस्तृत उल्लेख किया गया तथा बाजार भावों की न्यूनतम दरों के अधिकृत डीलर के कोटेशन सक्षम अधिकारी की संस्तुति/सहमति से आगणन में सम्मिलित किये गये हैं; तदनुसार ही कार्य की प्रस्तातिव दरों के दृष्टिगत ही निदेशालय/प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा द्वारा कार्य सम्पादन से पूर्व व्यावहारिक/मितव्ययता की दृष्टिगत से संशोधित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति 2017 की उल्लेखित सुसंगत/नियमों के अनुसार सम्पन्न किया जाय।

19. विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है; उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन् हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

20. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017/ प्रोक्योरमैन्ट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22. Third Party quality testing द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता आदि की जॉच कराते हुए जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।

23. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड तथा प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

24. कार्य हेतु सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या–85/XVIII-A-3/2020-10(01/वि0क0/2019 दिनांक 16 जून, 2020 में उल्लिखित होमोनाइज्ड गाईड लाइन्स का सन्दर्भ

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 20/05/2022 01:51 PM

भी अपरिहार्य रूप से ले लिया जाय।

25. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

26. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/ XXVII(7)/ 2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–12– राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा की स्थापना की मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

4 – यह आदेश वित्त विभाग के शा0सं0–36087(म0)(P)/XXVII(3)/2021-22 दिनांक 19 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Arvind Singh Pangtey
Date: 20-05-2022 13:48:27

भवदीय,
(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

संख्या–36643/XXVIII(5)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा इकाई।
9. गार्ड फाइल।

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 20/05/2022 01:51 PM